

10/2/20

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। यदि मूल वाद विधि द्वारा वर्णित होने से अन्तर्गत शर्तों पर 07R11 CPC स्वीकार किया जाकर खोज हो सके हो। अतः शर्तों पर अन्तर्गत R1A 212 भी सार्वजनिक होने से खोज की जाती है। विनियम आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली केसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उम्येद सिंह रत्नू  
(R.A.S.)

सहायक कलेक्टर एवं  
कार्यापालक दण्डनायक  
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर